न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 36/2017

1. परमेश्वरी देवी पत्नी श्याम लाल
2. वेदप्रकाश पुत्र श्याम लाल
3. जगजीत सिंह पुत्र श्याम लाल
4. सुरजीत सिंह पुत्र श्याम लाल
5. अनिल कुमार पुत्र श्याम लाल

जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र मंगुराम जाति अरोड़ा निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दिनांक 06.03.2017

उपस्थितिः—

श्री मोहन लाल माहर, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री राजेश गुम्बर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 03.10.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर चक 2 जे बड़ा के मुरब्बा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

19 के लिए मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 से 5 की उत्तरी तरफ से एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2016 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है। ऐसी स्थिति में उसे रास्ता की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 06.03.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 5 में मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 के निपता हुआ 5 X 3 मीटर रास्ता स्वीकृत कर दिया एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी एल सी की दुगुनी राशि दिलाने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि में जाने हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन एक तरफा तौर पर तैयार कर प्रेषित किया है। मौके पर मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 से 5 में रास्ता प्रचलित है। किला नम्बर 21 से घूमावदार रास्ता दिया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2018(2) 1193 2016(2) 1281 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रास्ता 5 X 3 मीटर ही स्वीकृत किया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोन किया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलाधीन आदेश के द्वारा मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 के चिपता हुआ 5 X 3 मीटर रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत नक्शे की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त रास्ता उचित नहीं है एवं इस संबंध में हमारे द्वारा भी मजरी मौका का अवलोकन किया जिसमें किला नम्बर 21 से 25 में पूर्व में स्वीकृत रास्ता दर्शाया हुआ है एवं प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नम्बर 18 में किला नम्बर 1 से 5 में रास्ता की मांग की है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 5 में मु.न. 49 के कि.न. 25 के चिपता हुआ रास्ता स्वीकृत किया है। उक्त रास्ता किस प्रकार से व्यवहारिक है यह स्पष्ट नहीं है । अधी. न्यायालय की पत्रावली में भू.अ. वृत की रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता मु.न. 50 में से बताया गया है एवं मु.न. 50 में के कि.न. 21 में 8–1/4 फिट गोलाई में रास्ता स्वीकृति के विकल्प को रेस्पो. के खेत में पहुचने का न्यूनतम स्वीकृति योग्य रास्ता माना है परन्तु अधी.न्यायालय ने इस मु.न. 50 के इस वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में यह अभिमत दिया है कि इसके खातेदार पक्षकार नहीं है एवं प्रस्तावित रास्ता उचित नहीं रहेगा । इस सम्बन्ध में इस न्यायालय के विनम्र मत में आवेदन पत्र के न्यायसंगत निर्णय हेतु मु.न. 50 के खातेदारों को सुने जाने के लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। रा.का.अ. की धारा 251 ए में उपखंड अधिकारी को यह दायित्व दिया है कि वह ऐसे आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु प्रभावित पक्षकारों की आपत्तियां आमन्त्रित करेगा । इस प्रकरण में उपखंड अधिकारी ने मु.न. 18 के कि.न. 5 में रास्ता स्वीकृत किया है परन्तु कि.न. 5 मु.न. 18 के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । न्यायालय के विनम्र मत में यह उचित रहता कि इस बाबत भी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जांच की जाती । रा.का.अ. की धारा 251 क में यह आज्ञापक प्रावधान है कि खातेदारी भूमि में नया रास्ता चाहे जाने पर समुचित वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता होनी आवश्यक है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखे बिना ही अपीलधीन आदेश पारित किया है। इस निर्णय में अधी. न्यायालय द्वारा निर्णय के आधारों का स्पष्ट अंकन नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

गया है । इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया जाना उचित नहीं है।

इस विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2017 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपील के दोनों पक्षों सहित आवश्यक सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई /साक्ष्य का अवसर प्रदान कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए तत्सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के प्रावधानों व उपर दिये विवेचन को भी दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों की उपस्थिति में आवश्यक मौका निरीक्षण करवा कर विस्तृत विवेचना कर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर